झारखण्ड सरकार
<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) डाल–02 / 2014 .... / राँची, दिनांक ....

<u>स्पीड पोस्ट</u>
<u>गोपनीय</u>
<u>महत्वपूर्ण</u>

प्रेषक,

बिन्दु माधव प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
मेदिनीनगर

विषय : **अमानत बराज के निर्माण हेतु किये गये चार एकरारनामा में** Price escalation clause **जोड़कर इस मद में किये गये अनियमित भुगतान (कुल लगभग 21.03 करोड़ रूपये) के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्र अन्तर्गत औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पांकी (मेदिनीनगर) के अधीन अमानत बराज निर्माण से संबंधित एकरारनामा सं०– 18F2/2002-03, 09F2/07-08, 04F2/08-09 एवं 01F2/06-07 के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) वर्ष (31.03.2011) में प्रारूप कंडिका सम्मिलित किये जाने संबंधी उल्लेख निम्नवत् है :–

Inclusion of provision regarding price escalation in tender documents violation of the Government order resulted in loss of Rs. 21.03 crore to the Government.

2. उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची के अध्यक्षता में एक जाँच कमिटी गठित की गई। समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक– 31.01.2014 को समर्पित किया गया (प्रति संलग्न)।

जाँच समिति द्वारा उक्त चारो एकरारनामा के Price escalation मद में नियमानुसार भुगतान प्रतिवेदित किया गया है –

	एकरारनामा सं०	Price escalation मद में भुगतान रू० में
1.	18F2/02-03	19,20,35,806/-
2.	09F2/07-08	79,06,075/-
3.	04F2/08-09	21,00,000/-
4.	01F2/06-07	82,28,110/-
	कुल रू०	21,02,69,991/- **(एक्कीस करोड़ दो लाख उनहत्तर हजार नौ सौ एकानबे रूपये)**

3. उल्लेखनीय है कि एकरारनामा में Price escalation clause नहीं रखने का प्रावधान है, परन्तु उक्त चारों एकरारनामा में Price escalation का clause जोड़ा गया एवं इस मद में भुगतान किया गया, अतएव Price escalation मद में किये गये भुगतान को जाँच समिति द्वारा अनियमित भुगतान मानते हुए इसके लिए कार्यपालक अभियंता को दोषी प्रतिवेदित किया गया।

4. विभागीय समीक्षा में उक्त एकरारनामों में Price escalation मद में किये गये अनियमित भुगतान को Planned conspiracy to financial embezzlement के सदृश्य पाया गया जिसमें लगभग 21.03 करोड़ रूपये के सरकारी राजस्व की क्षति हुई एवं इस पूरे प्रकरण में Bihar/Jharkhand Financial Rule 09- (i) & (iii) Rule-30 (i), (iii) & (v) तथा Rule 34 का उल्लंघन हुआ पाया गया है। अतएव समयक समीक्षोपरान्त सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना/कार्य से संबंधित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, श्री नारायण खाँ, श्री सूरजमन शर्मा, श्री प्रधान शिवनारायण प्रसाद तथा श्री रामाशंकर राय, सम्प्रति सभी सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त अनियमित भुगतान/राजस्व क्षति के लिए संबंधित स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कर कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंगवश सभी सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता का बायोडाटा संलग्न है।

विश्वासभाजन

अनु०–यथोक्त।

ह0/

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पांकी, शिविर–मेदिनीनगर को अनुलग्नकों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची–2 के अ०शा०पत्र सं० रिपोर्ट (सिविल)/ए०आर०/2010–11/67 दिनांक– 27.06.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 133/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – ......133....... / राँची, दिनांक ......10-01-18.......

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9-1-18

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\MINZ\Letter\Joint. Sec\08_J.S (N) _Dal._02_2014.docx 9